विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या : 225/वि0स0/संसदीय/136(सं)/2016

लखनऊ, दिनांक 03 मार्च, 2017

अधिसूचना

प्रकीर्ण

श्री प्रदीप माथुर, नेता, कांग्रेस विधान मण्डल दल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के नियम–7 के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष, विधान सभा के विचारार्थ श्री संजय प्रताप जायसवाल, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा के विरुद्ध दिनांक 22 अगस्त, 2016 को दायर की गई याचिका पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा दिनांक 03 मार्च, 2017 को किया गया विनिश्चय एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ अधिसूचित किया जाता है :–

अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश

श्री प्रदीप माथुर द्वारा श्री संजय प्रताप जायसवाल के विरुद्ध उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी याचिका पर

निर्णय

1. श्री प्रदीप माथुर, नेता, उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी, विधान मण्डल दल द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2016 को उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के नियम–7 के अन्तर्गत श्री संजय प्रताप जायसवाल, सदस्य विधान सभा के विरुद्ध याचिका प्रस्तुत की गयी है।

2. संक्षेप में याची का यह कथन है कि विपक्षी श्री संजय प्रताप जायसवाल, विधान सभा क्षेत्र सं0–309, रूधौली, जनपद–बस्ती से उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य के लिए वर्ष 2012 में विधान सभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में विधायक चुने गये थे तथा श्री संजय प्रताप जायसवाल तभी से उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी, विधान मण्डल दल के सदस्य बन गये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त एक राष्ट्रीय राजनैतिक दल है।

3. याची के अनुसार भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रस्तर 2(1)(ए) में यह उल्लिखित है कि यदि कोई सदन का सदस्य जिस पार्टी के टिकट पर निर्वाचित हुआ है उस पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है तो वह विधान सभा के सदस्य के रूप में निरर्ह हो गये है।

4. याची ने इस पर बल दिया है कि विपक्षी श्री संजय प्रताप जायसवाल, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विधान सभा के

सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे, द्वारा स्वेच्छा से दिनांक 11 अगस्त, 2016 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है।

5. याची द्वारा यह कहा गया है कि विपक्षी द्वारा प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के समक्ष प्रेस कांफ्रेन्स की गई तथा इस बात की घोषणा की गई कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। याची के अनुसार विपक्षी का समाचार इलेक्ट्रानिक मीडिया के लगभग सभी न्यूज चैनल पर प्रसारित हुआ एवं दिनांक 12 अगस्त, 2016 के विभिन्न समाचार पत्रों पर प्रकाशित हुआ।

6. याची द्वारा यह भी कहा गया है कि उपरोक्त समाचारों में से कुछ में प्रतिपक्षी की फोटो भी श्री केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, उ0 प्र0 एवं अन्य के साथ छपी है तथा उनके कथन का सारांश भी है। विपक्षी के इस कृत्य से यह स्पष्ट है कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिनांक 11 अगस्त, 2016 को स्वेच्छा से छोड़ दी है तथा वह अन्य दल में जाने के इच्छुक हैं।

7. याची के अनुसार भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(ए) के प्राविधान के अन्तर्गत विधान सभा की सदस्यता से निरर्ह हो जायेगा।

8. याची द्वारा यह भी कहा गया कि विपक्षी श्री संजय प्रताप जायसवाल उ0प्र0 विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987, जो कि संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा–8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मा0 अध्यक्ष, विधान सभा के द्वारा बनायी गयी है, के नियम–7 के उप नियम 4 सपठित भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(बी) के अन्तर्गत भी दिनांक 11 जून, 2016, को राज्यसभा मतदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के नेता द्वारा दिये गये निर्देशों के विरुद्ध कांग्रेस के प्रत्याशी श्री कपिल सिब्बल को प्रथम वरीयता का मत न देने के कारण निरर्हता से ग्रसित हो गये हैं।

9. अंत में श्री प्रदीप माथुर, याची द्वारा यह प्रार्थना की गयी है कि श्री संजय प्रताप जायसवाल को भारत का संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त घोषित किया जाये और उनकी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सं0–309,रुधौली, जनपद–बस्ती से उ0प्र0 विधान सभा की सदस्यता समाप्त की जाये।

10. याचिका के समस्त प्रस्तरों को उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के प्राविधानों के अन्तर्गत सत्यापित किया गया है तथा याचिका के साथ याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए एक शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। याची की ओर से संलग्नकों के रूप में विभिन्न समाचार पत्रों की प्रतियाँ संलग्न की गयी हैं। याचिका के साथ संलग्न अभिलिखित साक्ष्य/उपाबंधों को भी प्रमाणित किया गया है।

11. विपक्षी श्री संजय प्रताप जायसवाल द्वारा दिनांक 19 सितम्बर, 2016 को अपना उत्तर अंग्रेजी में दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि विधान सभा की भाषा हिन्दी है इसलिए आप इसका उत्तर हिन्दी में प्रस्तुत करे तथा याची को भी उपलब्ध करा दे। याचिका की सुनवाई की अगली तिथि 3 अक्टूबर, 2016 नियत की गयी।

12. विपक्षी श्री संजय प्रताप जायसवाल द्वारा दिनांक 03 अक्टूबर, 2016 को उपर्युक्त याचिका पर उत्तर प्रस्तुत करते हुये यह कहा गया कि उसने कांग्रेस छोड़कर किसी अन्य राजनैतिक दल की सदस्या ग्रहण नहीं की है, अपितु विपक्षी को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी से निकाल दिया गया। याचिका समाचार पत्रों एवं टी0वी0 चैनलों की सूचना पर आधारित है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अन्तर्गत साक्ष्य के रूप ग्राह्य नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायलय का निर्णय अनवर पी0वी0 बनाम पी0 के0 बसीर व अन्य (2014) 10 एस0सी0सी0 पृष्ठ 410 स्पष्ट है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा आरोपों को अग्राह्य करने का अनुरोध किया गया। तीसरा आरोप याचिकाकर्ता के दल के ह्विप का पालन न करने का है कि विपक्षी ने कांग्रेस के दल के राज्य सभा प्रत्याशी को मत नहीं दिया। इस सन्दर्भ में प्रतिपक्षी का कथन है कि कांग्रेस के विधान मण्डल दल के नेता श्री प्रदीप माथुर द्वारा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी श्री कपिल सिब्बल के पक्ष मे मतदान करने के पक्ष में न तो कोई ह्विप जारी किया गया और न हीं उसका कोई साक्ष्य याची द्वारा अपनी याचिका में संलग्न किया गया। यहाँ यह उल्लिखित करना समीचीन होगा कि वर्तमान कानूनी व्यवस्था के अनुसार ह्विप केवल विधान सभा के भीतर ही कार्यवाही एंव मतदान पर लागू होता है। यह कानूनी व्यवस्था कुलदीप नायर एवं अन्य बनाम भारत संघ व अन्य (2006) 7 एस0सी0सी0 की व्यवस्था में स्पष्ट है।

13. याचिका पर सुनवाई की आगामी तिथि 19 अक्टूबर, 2016 को नियत की गयी।

14. याचिका पर 19 अक्टूबर, 2016 को सुनवाई की नियत तिथि अपरिहार्य कारणों से स्थगित की गयी तथा सुनवाई की आगामी तिथि 2 नवम्बर, 2016 को नियत की गयी।

15. दिनांक 2 नवम्बर, 2016 को याचिकाकर्ता द्वारा विपक्षी के प्रतिउत्तर में यह कहा गया कि विपक्षी श्री जायसवाल द्वारा कांग्रेस छोड़कर किसी अन्य राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण नहीं की है, जो पूरी तरह असत्य है। स्वयं श्री जायसवाल ने अपने 19 सितम्बर, 2016 के अंग्रेजी में दिये उत्तर के तीसरे प्रस्तर में स्वीकार किया है कि दिनांक 11 अगस्त, 2016 को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। हिन्दी में उनका इनकार बाद में निरर्हता से बचने के लिये गढ़ा गया है और विरोधाभासपूर्ण है। प्रस्तर–2 में श्री जायसवाल का यह कहना कि समाचार–पत्र में छपे समाचार को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत साक्ष्य के रुप में ग्राह्य नहीं, अस्वीकार है। मा0 अध्यक्ष महोदय के द्वारा संविधान की दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही में सिविल प्रकिया संहिता अथवा भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है, ये कार्यवाही संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रस्तर–6 के उप नियम 2 के अन्तर्गत अनुच्छेद 212 के अर्थ में राज्य के विधान मण्डल की कार्यवाही है। इस कार्यवाही में साक्ष्य के रुप में अखबारों में छपे समाचार भी ग्राह्य है। याचीकर्ता द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि विपक्षी श्री संजय प्रताप जायसवाल के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की सूचना सभी समाचार पत्रों में छपी थी और उसमें श्री जायसवाल की फोटो श्री केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ उठाकर शामिल होने का एलान किया गया है। विपक्षी द्वारा इस बात का खण्डन नहीं किया गया है।

16. दिनांक 2 नवम्बर, 2016 याचिका की सुनवाई के समय उभयपक्षों को सुनने के पश्चात अगामी तिथि दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को नियत की गयी।

17. दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को अन्तः उभयपक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के उपरान्त प्रकरण में निर्णय प्रदान करने हेतु नियत किया गया।

18. मैंने पत्रावली पर सुसंगत अभिलेखों तथा साक्ष्यों का अवलोकन किया। याची द्वारा प्रतिपक्षी संजय प्रताप जायसवाल के विरुद्ध मुख्य रुप से इस आधार पर निरर्हता का अनुरोध किया गया कि उन्होंने स्वेच्छा से भारतीय राष्ट्रीय कांगेस की सदस्यता त्याग दी है तथा प्रतिपक्षी द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली गयी है।

19. याची द्वारा याचिका के साथ प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों में सुसंगत समाचार पत्रों की फोटो प्रतियाँ भी प्रस्तुत की गयी है, जिनके अवलोकन से यह स्पष्ट कि इस आशय का समाचार दिनांक 12 अगस्त, 2016 प्रकाशित किया गया था कि श्री संजय प्रताप जायसवाल ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है।

20. मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दसवीं अनुसूची के प्रस्तर 2 (1) (क) की परिधि एवं उसके विस्तार के संदर्भ में **'किहोटोहोलोहान,** के मामलों में पारित निर्णयों के अंतर्गत व्याख्या प्रदर्शित की है तथा यह अवधारित किया है कि सदन के किसी सदस्य द्वारा राजनीतिक दल की सदस्यता को स्वेच्छापूर्वक त्यागने का कृत्य प्रत्यक्ष (Express) अथवा विवक्षित (Implied) हो सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गई विधिक व्यवस्थाओं के अनुसार सदन का कोई सदस्य विवक्षित रूप से अपने आचरण द्वारा भी राजनीतिक दल की सदस्यता का स्वेच्छा से त्याग कर सकता है।

21. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रवि एस0 नायक प्रति यूनियन ऑफ इंडिया (ए0आई0आर0 1994, एस0सी0 1558)** में पारित निर्णय के अंतर्गत समाचार–पत्रों में प्रकाशित समाचारों को साक्ष्य के रूप में दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई याचिकाओं के निस्तारण हेतु संज्ञान में लिये जाने के विषय में मान्यता प्रदान की है जोकि निम्नवत् है।

"As regards the reference to the news papers in the impugned order passed by the Speaker it appears that the Speaker, in his order, has only referred to the photographs as printed in the newspapers showing the appellants with Congress (I) MLAs and Dr. Barbosa, etc. when they had met the Governor with Dr. Wilfred D'Souza who had taken them to show that he had the support of 20 MLAs. The High Court has rightly pointed out that the Speaker, in referring to the photographs was drawing an inference about a fact which had not been denied by the appellants themselves, viz., that they had met the Governor along with Dr. Wilfred D'Souza and Dr. Barbosa on December 10, 1990 in the company of congress (1) MLAs, etc. The talk between the Speaker and the Governor also refers to the same fact. In view of the absence of a denial by the appellants of the averment that they had met the Governor on December 10, 1990 accompanied by Dr. Barbosa and Dr. Wilfred D'Souza and Congress MLAs the controversy was confined

to the question whether from the said conduct of the appellants an inference could be drawn that they had voluntarily given up the membership of the MGP. The reference to the newspaper reports and to the talk which Speaker had with the Governor, in the impugned order of disqualification does not, in these circumstances, introduce an infirmity which would vitiate the said order as being passed in violation of the principles of natural justice."

22. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई उपर्युक्त अवधारणाओं से यह स्पष्ट है कि समाचार–पत्रों को दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत याचिकाओं के निस्तारण हेतु संज्ञान में लिया जाना सर्वथा औचित्यपूर्ण है। प्रतिपक्षी की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य अथवा आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे कि उपर्युक्त समाचार–पत्रों में प्रकाशित समाचारों का कोई खण्डन किया गया हो, अतः याची द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्य एवं तर्क विधिक रूप से मान्य है।

23. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह राणा प्रति श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, (ए0आई0आर0/एस0सी0 1305, 2007)** में यह स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया है कि निरर्हता उसी दिन से लागू एवं प्रभावी मानी जायेगी जिस दिन से सम्बन्धित सदस्य द्वारा स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल का त्याग किया गया हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय के निम्नलिखित अंश सुसंगत हैं।

"As we see it, the act of disqualification occurs on a member voluntarily giving up his membership of a political party or at the point of defiance of the whip issued to him. Therefore, the act that constitutes disqualification in terms of paragraph 2 of the Tenth Schedule is the act of giving up or defiance of the whip. The fact that a decision in that regard may be taken in the case of voluntarily giving up by the Speaker at a subsequent point of time cannot and does not postpone the incurring of disqualification by the act of the legislator. Similarly, The fact that the party could condone the defiance of a whip within 15 days or that the Speaker takes the decision only thereafter in those cases, cannot also pitch the time of disqualification as anything other than the point at which the whip is defied. Therefore in the background of the object sought to be achieved by the Fifty-Second Amendment of the Constitution and on a true understanding of paragraph 2 of the Tenth Schedule, with reference to the other paragraphs of the Tenth Schedule, the position that emerges is that the Speaker has to decide the question of disqualification with reference to the date on which the member voluntarily gives up his membership or defies the whip. It is really a decision ex post facto. The fact that in terms of paragraph 6 a decision on the question has to be taken by the Speaker or the Chairman, cannot lead to a conclusion that the question has to be determined only with reference to the date of the decision of the Speaker. An interpretation of that nature would leave the disqualification to an indertiminate point of time and to the whims of the decision making authority. The same would defeat the very object of inacting the law. Such an interpretation should be avoided to the extent possible. We are, therefore, of the view that the contention that only on a decision of the Speaker that the disqualification is incurred, cannot be accepted."

24. प्रतिपक्षी द्वारा यह तर्क भी दिया गया है कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी द्वारा उनको निष्कासित कर दिया गया था। अतः भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के उपरान्त भी वह निरर्हता से ग्रसित नहीं माने जायेंगे। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जी0 विश्वनाथन प्रति माननीय

अध्यक्ष तमिलनाडु, विधान सभा [1996(2)एस0एस0सी0 353] एवं अन्य में स्पष्ट विधि व्यवस्था प्रतिपादित करते हुए यह अवधारित किया है कि निष्कासन के पश्चात् भी यदि कोई सदस्य अपने मूल राजनीतिक दल से भिन्न किसी अन्य राजनीतिक दल में सम्मिलित होता है तो उसके सम्बन्ध में दसवीं अनुसूची के सुसंगत प्रावधान आकर्षित होंगे एवं यह माना जायेगा कि उन्होंने अपने मूल राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से त्याग दी, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के निम्नलिखित अंशों से स्पष्ट हैः–

"It appears that since the explanation to para 2 (1) of the Tenth Schedule provides that an elected member of a House shall be deemed to belong to the political party, if any, by which he was set up as a candidate for election as such member, such person so set up as a candidate and elected as a member, shall continue to belong to that party. Even if such a member is thrown out or expelled from the party, for the purposes of the Tenth Schedule he will not cease to be a member of the political party that had set him up as a candidate for the election. He will continue to belong to that political party even if he is treated as 'unattached'. The further question is when does a person "voluntarily give up" his membership of such political party, as provided in para 2(1)(a)? The act of voluntarily giving up the membership of the political party may be either express or implied. When a person who has been thrown out or expelled from the party which set him up as a candidate and got elected, joins another (new) party, it will certainly amount to his voluntarily giving up the membership of the political party which had set him up as a candidate for election as such member.

25. भारत का संविधान के 52वें संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को समाहित किया गया था जिसका कि मुख्य रूप से यह उद्देश्य था कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुसार जिस दल से प्रत्याशी निर्वाचित होता है उसके अतिरिक्त अन्य दल के प्रति यदि वह आस्था अथवा प्रतिबद्धता प्रकट करता है तो वह उपयुक्त नहीं है। जैसाकि रवि एस0 नायक के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया जा चुका है। निरर्हता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आचरण के अवधारित पर आधारित हो सकता है। अतः श्री संजय प्रताप जायसवाल को 10वीं अनुसूची के अन्तर्गत सुसंगत प्राविधानों के अनुसार निरर्हता से ग्रसित माना जायेगा।

26. उपर्युक्त प्राविधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यदि कोई सदस्य जिस दल से निर्वाचित हुआ है उसके अतिरिक्त किसी दल में सम्मिलित होता है तो वह निरर्हता से ग्रस्त होगा, चूंकि श्री संजय प्रताप जायसवाल को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिनांक 11 अगस्त, 2016 को ग्रहण कर ली है। अतः यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गये हैं। वर्णित स्थिति में श्री संजय प्रताप जायसवाल के मामले में 10वीं अनुसूची के प्रस्तर–2 के प्राविधान आकर्षित होते हैं तद्नुसार वह उसी दिनांक से निरर्ह मानें जायेंगे, जिस दिनांक से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है।

27. प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि साक्ष्य के रूप में याची द्वारा विभिन्न समाचार–पत्रों की प्रतियाँ प्रस्तुत की गयी हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत का संविधान की 10वीं अनुसूची के

पैरा–2 दल परिर्वतन के आधार पर निरर्हता–(1) पैरा–4 और पैरा–5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सदन का कोई सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, सदन का सदस्य होने के लिए उस दशा में निरर्हरित होगा जिसमें –

(क) उसने ऐसे राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है; या

(ख).....

चूंकि श्री संजय प्रताप जायसवाल ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। वर्णित स्थिति में यह स्पष्ट है कि श्री संजय प्रताप जायसवाल द्वारा स्वेच्छा से अपने मूल राजनितिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता को त्याग दिया है। अतः श्री जायसवाल के सम्बन्ध में 'भारत का संविधान' की दसवीं अनुसूची के प्रस्तर(2)(1)(क) में वर्णित प्रावधान आकर्षित होते हैं एवं इसके फलस्वरूप श्री जायसवाल 16वीं विधान सभा की सदस्यता से उस दिनांक से निरर्हित माने जायेगें जिस दिनांक से भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुये।

28. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों, विधिक प्राविधानों एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गयी विधि व्यवस्थाओं के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि श्री संजय प्रताप जायसवाल दिनांक 11 अगस्त, 2016 से निरर्ह मानें जायेंगे, क्योंकि उसी दिनांक से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इस आशय का समाचार दिनांक 12 अगस्त, 2016 को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया, जिससे कि यह स्पष्ट है श्री संजय प्रताप जायसवाल द्वारा अपने मूल राजनीतिक दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से त्याग दी गयी। वर्णित स्थिति में मेरा यह सुविचारित समाधान है कि श्री संजय प्रताप जायसवाल के सम्बन्ध में भारत का संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रस्तर–2 के प्राविधान आकर्षित होते हैं जिसके फलस्वरूप श्री संजय प्रताप जायसवाल दिनांक 11 अगस्त, 2016 को निरर्हता से ग्रस्त हो गये।

आदेश

श्री प्रदीप माथुर, नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विधान मण्डल दल द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका को स्वीकार किया जाता है। श्री संजय प्रताप जायसवाल, सदस्य उत्तर प्रदेश विधान सभा क्षेत्र–309, रूधौली, विधान सभा क्षेत्र जनपद–बस्ती को भारत का संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रस्तर–2 (1) (क) के अंतर्गत दिनांक 11 अगस्त, 2016 से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता से निरर्ह घोषित किया जाता है।

दिनांक : 03 मार्च, 2017

माता प्रसाद पाण्डेय,
अध्यक्ष,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

संख्या : 225(2)/वि0स0/संसदीय/136(सं)/2016, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित :–

1–महामहिम राज्यपाल के प्रमुख सचिव को महामहिम राज्यपाल की सूचनार्थ,
2–मा0 मुख्य मंत्री के प्रमुख सचिव को मा0 मुख्य मंत्री की सूचनार्थ,
3–मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
4–समस्त मा0 सदस्यगण, विधान सभा, उत्तर प्रदेश,
5–सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली,
6–मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
7–प्रमुख सचिव, विधान सभा,
8–प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संसदीय कार्य अनुभाग–1,
9–प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,
10–सचिव, विधि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली,
11–सरकारी सचिवालय के समस्त विभाग,
12–श्री प्रदीप माथुर, नेता कांग्रेस विधान मण्डल दल, विधान सभा, उत्तर प्रदेश,
13–श्री संजय प्रताप जायसवाल, 125/1, पाण्डेय बजार (पुरानी बस्ती), जनपद–बस्ती,
14–निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क अनुभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
15–महासचिव, राज्य सभा, नई दिल्ली,
16–महासचिव, लोक सभा, संसद भवन, नई दिल्ली,
17–जिलाधिकारी, बस्ती,
18–विधान सभा सचिवालय के समस्त अधिकारीगण तथा अनुभाग।

अशोक कुमार चौबे,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0-एल0 283 विधान सभा (453)-06-03-2017-1000 प्रतियां-कम्प्यूटर।